भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा
लिखित प्रश्न संख्या : 4127
गुरुवार, 19 दिसंबर, 2024/28 अग्रहायण, 1946 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

श्रावस्ती विमानपत्तन से उड़ानें

4127. श्री राम शि रोमणि वर्मा:

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का देश के छोटे से छोटे शहरों में विमानपत्तन नेटवर्क और हवाई यात्रा सुविधाओं के विस्तार का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार का विश्व प्रसिद्ध बौद्ध तीर्थ स्थल श्रावस्ती विमानपत्तन से न्यूनतम किराया तय करते हुए उड़ानों की आवृत्ति बढ़ाने का भी विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुरलीधर मोहोल)

(क) और (ख): नागर विमानन मंत्रालय (एमओसीए) ने देश में असेवित तथा अल्पसेवित हवाईअड्डों से क्षेत्रीय हवाई संपर्क को बढ़ावा देने तथा जनसाधारण के लिए हवाई यात्रा किफ़ायती बनाने हेतु दिनांक 21.10.2016 को क्षेत्रीय संपर्क योजना - उड़े देश का आम नागरिक (आरसीएस-उड़ान) शुरू की है। आरसीएस-उड़ान योजना ने अन्य बातों के साथ-साथ, टियर-2 और टियर-3 शहरों में हवाईअड्डों/हेलीपोर्टों/वॉटर एयरोड्रोमों के विकास के माध्यम से देश में विमानन क्षेत्र को प्रोत्साहन प्रदान किया है।

इस योजना के प्रारंभ होने के उपरांत पिछले आठ वर्षों के दौरान, 87 असेवित और अल्पसेवित हवाईअड्डों (13 हेलीपोर्टों और 2 वॉटर एयरोड्रोमों सहित) को जोड़ने वाले 615 आरसीएस मार्गों का प्रचालन अब तक शुरू किया गया है।

(ग): उड़ान योजना के तहत बोली प्रक्रिया के दूसरे दौर के दौरान आरसीएस उड़ानों के विकास और परिचालन के लिए श्रावस्ती हवाईअड्डे का चयन किया गया था और हवाईअड्डे का प्रचालन शुरू होने के पश्चात, फ्लाईबिग ने दिनांक 12 मार्च, 2024 को श्रावस्ती और लखनऊ के बीच आरसीएस उड़ानों का परिचालन शुरू किया था।

मार्च 1994 में वायु निगम अधिनियम के निरसन के पश्चात, भारतीय घरेलू विमानन को अविनियमित कर दिया गया है। एयरलाइनें, इस संबंध में सरकार द्वारा जारी किए गए मार्ग संवितरण दिशानिर्देशों (आरडीजी) और नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) द्वारा अनुमोदित उड़ान अनुसूचियों का अनुपालन करने के अध्यधीन, किसी भी तरह के विमान के साथ क्षमता बढ़ाने के लिए तथा सेवाएँ प्रदान करने के लिए किसी भी बाजार एवं नेटवर्क का चयन करके परिचालन शुरू करने के लिए स्वतंत्र हैं। अतः, अपनी परिचालन एवं वाणिज्यिक व्यवहार्यता के आधार पर देश में किसी भी हवाईअड्डे तक/से हवाई सेवाएँ शुरू करना,

एयरलाइन प्रचालकों का सरोकार है। साथ ही, सरकार द्वारा हवाई किराए न तो निर्धारित किए जाते हैं और न ही विनियमित किए जाते हैं। वायुयान नियमावली, 1937 के नियम 135 के उपनियम (1) के प्रावधानों के तहत, अनुसूचित हवाई सेवाओं प्रदान करने वाले प्रत्येक वायु परिवहन उपक्रम से परिचालन की लागत, सेवाओं की विशेषता, सामान्यतः प्रचलित टैरिफ, आदि सहित सभी प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखते हुए टैरिफ निर्धारित करने की अपेक्षा है। एयरलाइनें बाजार की मांग, मौसमीयता और अन्य बाजार शक्तियों को ध्यान में रखते हुए मूल्य तय करती हैं।

*****